

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी विजौलिया जिला भीलवाड़ा (राज०)

प्रकरण संख्या :- 283/2022

तारीख दाख

2/11/22

प्रेषित :-

तहसीलदार

विजौलिया

विषय :- प्रकरण संख्या 283/2022

पत्थरगढी काबल।

1- पुरण पिता सारंग जाति बंजारा, उम्र वयस्क निवासी गोस्वदनपुरा तहसील विजौलिया जिला भीलवाड़ा (राज०)

--प्रार्थी

दत्ताम

1- राजु पिता रत्ता जाति बंजारा, उम्र वयस्क निवासी गोस्वदनपुरा तहसील विजौलिया जिला भीलवाड़ा (राज०)

2- शंकर पिता चुन्ना जाति बंजारा, उम्र वयस्क निवासी गोस्वदनपुरा तहसील विजौलिया जिला भीलवाड़ा (राज०)

—विपक्षीगण

उपरोक्त विषयान्तर्गत अगवानी प्रकरण में आदेश होकर लेख है कि मौजा ग्राम गोस्वदनपुरा, पटवार क्षेत्र मोपतपुरा, मु-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र विजौलिया कलां तहसील विजौलिया में स्थित खाता संख्या 33 आराजी नंबर 194/59 रकबा 0.8094 हेक्टेयर भूमि की बहालता पड़ोसीयान के पत्थरगढी कि जावे। मोके पर पत्थरगढी के दौरान कब्जा किसी अन्य का पाया जावे तो जारिये पत्थरगढी कब्जा नही हटाया जावे तथा तक्षम न्यायालय में वाद प्रस्तुत करने हेतु सूचित करे। आदेश पत्थरगढी हेतु मु-अभिलेख निरीक्षक विजौलिया कलां दगे कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस 500 तय कि जाती है वक्त मोके पर प्रार्थी अदा करेगा। पत्थरगढी करने से पूर्व पड़ोसी एवं विपक्षीगणो को सुचित करते हुए पत्थरगढी करे।

पत्थरगढी कर पालना रिपोर्ट 20 दिन में आवश्यक रूप से प्रस्तुत करे।



उपखण्ड अधिकारी
विजौलिया जिला भीलवाड़ा
उपखण्ड अधिकारी
विजौलिया

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी विजौलिया जिला भीलवाड़ा (राज0)

पुनर्जाति -

व्यक्तिगत

प्राप्त -

तहसीलदार

विजौलिया

विषय :- प्रकरण संख्या 283/2022 पत्थरगढी बाबत

- 1- पुरण पिता मारंग जाति बंजारा, उम्र वयस्क निवासी गोरधनपुरा तहसील विजौलिया जिला भीलवाड़ा (राज0)


बनाम

- 1- राजु पिता रत्ता जाति बंजारा, उम्र वयस्क निवासी गोरधनपुरा तहसील विजौलिया जिला भीलवाड़ा (राज0)
- 2- शंकर पिता चुन्ना जाति बंजारा, उम्र वयस्क निवासी गोरधनपुरा तहसील विजौलिया जिला भीलवाड़ा (राज0)

—विपक्षीय

आगुस्त विधानात्मक अन्यायी प्रकरण में आदेश होकर लेख है कि नौजा ग्राम गोरधनपुरा पटवार क्षेत्र नोपतपुरा, गू-अनिलेख निरीक्षक क्षेत्र विजौलिया कला तहसील विजौलिया में स्थित खात संख्या 33 आराजी नंबर 194/59 रकबा 0.8094 हेक्टेयर भूमि की बरागलारा पडोसीयान के पत्थरगढी कि जाये। नौके पर पत्थरगढी के दौरान कब्जा किसी अन्य का पाया जावे तो जारिये पत्थरगढी कब्जा नही हटाया जावे तथा सक्षम न्यायालय में याद प्रस्तुत करने हेतु सूचित करें। आदेश पत्थरगढी हेतु गू-अनिलेख निरीक्षक विजौलिया कला को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीरा 500 तय कि जाती है वक्त माक पर प्रार्थी अदा करेगा। पत्थरगढी करने से पूर्व पडोसी एवं विपक्षीगणो को सूचित करते हुए पत्थरगढी करें।

पत्थरगढी कर पालना रिपोर्ट 20 दिन में आवश्यक रूप से प्रस्तुत करें।



उपखण्ड अधिकारी
विजौलिया